

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

घसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 348] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1972/आषाढ़ 31, 1894

No. 348] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1972/ASADHA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd July 1972

S.O. 503(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes, the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

(1) This Order may be called the Exports (Control) Ninth Amendment Order, 1972.

(2) In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 after item No. 35 the following shall be added:—

“36 —Cedarwood Oil of Non-ISI Specification”.

(3) In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 after item No. 104 the following shall be added:—

“105 —Cedarwood Oil of ISI-Specification”.

[No. E(C)O, 1968/AM(79).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

(1435)

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1972

एस० प्री० 503(अ).—आयात व्यापार (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर, केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात् :—

- (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) संशोधन संख्या नौवां, 1972 की संज्ञा दी जाय।
- (2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 अनुसूची 1 के भाग 'ए' में मद संख्या 35 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायगा :—

“36 ———गैर — आई एस आई—विशिष्टकरण का देवदार लकड़ी का तेल।”

- (3) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'बी' में मद संख्या 104 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायगा :—

“105 ———आई एस आई—विशिष्टकरण का देवदार लकड़ी का तेल।”

[संख्या ई(सी) ओ, 1968/एम (79)]

एम० एम० सेन.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।